मुख्यमंत्री

मेजर जनरल (से0नि0) श्री भुवन चन्द्र खड़ूड़ी

का

वित्तीय वर्ष 2008–2009 के बजट अनुमानों

पर

बजट भाषण

मा0 अध्यक्ष महोदय,

मैं, आपकी अनुमति से इस परम् सम्मानित सदन के सम्मुख वित्तीय वर्ष 2008–09 का आय–व्ययक (बजट) प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि इस गरिमामय सदन के समक्ष मुझे द्वितीय बार बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस बजट के माध्यम से मेरा यह प्रयास है कि सभी माननीय सदस्यों एवं राज्य के नागरिकों के सक्रिय सहयोग से राज्य के विकास को गति व दिशा प्रदान की जाए।

आर्थिक परिवेश एवं वित्तीय प्रबन्धन :

वर्ष 2007–08 का बजट प्रस्तुत करते समय मैंने प्रदेश की वित्तीय स्थिति तथा ऋणग्रस्तता की ओर इस सम्मानित सदन का ध्यान आकर्षित किया था। हम उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरादायित्व व बजट प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कटिबद्ध हैं। गत वर्ष हमने प्रथम बार राजस्व सरप्लस बजट प्रस्तुत किया था। हमारा इस वर्ष फिर राजस्व सरप्लस को और अधिक बढ़ाकर

रु0 1106.71 करोड़ से रु0 1794.03 करोड़ तक ले लाने का लक्ष्य है। वर्तमान वर्ष में कुल रु0 1695.74 करोड़ के ऋण के सापेक्ष अगले वित्तीय वर्ष में लगभग रु0 300 करोड़ कम अर्थात् रु0 1395.58 करोड़ का ऋण लिया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार हम राज्य सकल घरेलू उत्पाद से ऋणग्रस्तता के अनुपात को निरन्तर कम किए जाने की ओर अग्रसर हैं।

बजट साहित्य को और अधिक सूचनाप्रद और पारदर्शी बनाने की दिशा में इस वर्ष प्रथम बार आय–व्ययक का खण्ड–6 प्रकाशित किया जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार के अधीन स्वीकृत तथा कार्यरत पदों का विवरण दिया गया है। अगले वर्ष सहायता प्राप्त संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों का विवरण भी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।

वार्षिक योजना :

वर्ष 2008–09 हमारी सरकार का एवं 11वीं पंचवर्षीय योजना का दूसरा वर्ष है। जहां वर्ष

2006–07 की तुलना में वर्ष 2007–08 से रु0 378 करोड़ अधिक की वार्षिक योजना स्वीकृत हुई थी वहीं वर्ष 2008–09 में भी रु0 4775 करोड़ की योजना अनुमोदित हुई है जो गत वर्ष की तुलना में रु0 396.37 करोड़ अधिक है। इस प्रकार राज्य के विकास हेतु पुनः बड़े हुए आकार की योजना स्वीकृत कराने में हम सफल हुए हैं।

मान्यवर,

मैं, वर्ष 2008–09 का आय–व्ययक प्रस्तुत करने के इस अवसर पर बजट एवं अन्य प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूँगा :–

- बजट में कोई नया कर प्रस्तावित नही किया गया है। राजस्व में वृद्धि तथा वित्तीय अनुशासन के आधार पर हमारी सरकार पुनः दूसरी बार राजस्व सरप्लस बजट प्रस्तुत कर रही है।

- राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्राविधानों तथा राज्य के लिए सुदृढ़ वित्तीय आधार बनाने के लिए

वित्तीय सुधार कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। वर्ष 2008–09 के प्रस्तुत बजट के अनुसार राजकोषीय घाटा रू0 1155.30 करोड़ रह गया है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.89 प्रतिशत है एवं वित्तीय सुधारों हेतु निर्धारित मानक 3 प्रतिशत की सीमा में है।

- आटा, मैदा, सूजी एवं दालें सामान्यजन के दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं, अतः इन पर 'वैट' की दर 4 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत की जाएगी।

- अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण पर देय स्टॉम्प शुल्क की दर 8 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत की जाएगी।

- शहरी क्षेत्रों में अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण पर देय 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टॉम्प ड्यूटी को भी 1 प्रतिशत किया जाएगा।

- सर्किल रेट से अधिक दर पर

बैनामा किए जाने की स्थिति में सर्किल रेट से अधिक की धनराशि के 50 प्रतिशत पर स्टॉम्प शुल्क की छूट दी जाएगी।

- रु0 1 लाख के स्थान पर रु0 3 लाख तक के कृषि ऋणों पर स्टाम्प शुल्क की छूट प्रदान की जाएगी।
- छवि गृहों में मनोरंजन कर की दर 60% से घटाकर 40% की जायेगी।
- केबल–टेलीविजन/ डी0टी0एच0 पर मनोरंजन कर की दर 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत की जाएगी।
- पर्वतीय क्षेत्रों हेतु एक विशेष समग्र औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2008 घोषित की गई है जिसके अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं का विकास, ब्याज उपादान प्रोत्साहन, अचल पूँजी निवेश पर उपादान आदि सुविधाएं दी

जाएंगी तथा इस नीति का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाएगा।

- सरकार ने हाल ही में लघु जल विद्युत परियोजनाओं सहित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन योजनाओं हेतु नई ऊर्जा नीति घोषित की है। इस ऊर्जा नीति को तत्परता से लागू किया जाएगा। इससे ग्रिड के अन्तिम छोर पर विद्युत उत्पादन में लाभ तथा पारेषण में विद्युत हानियों को कम करने के साथ–साथ स्थानीय उद्यमियों/ उपभोक्ता समूहों को विद्युत उत्पादन क्षेत्र में समुचित अवसर प्राप्त होगा।

- बालिकाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों का हाई स्कूल तक विस्तारीकरण किया जायेगा।

- अगले वित्तीय वर्ष में श्रीनगर मेडिकल कालेज में पठन–पाठन प्रारम्भ किए जाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

- राज्य में आपात स्थिति में ग्रस्त व्यक्तियों को तत्काल निकटतम अस्पताल पहुंचाने के उद्देश्य से पी0पी0पी0 माडल के आधार पर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी।

- राज्य में समस्त गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाएगी जिसके अन्तर्गत रु0 30 हजार प्रति वर्ष चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा परिवार के किसी सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने पर रु0 25 हजार की बीमा धनराशि दी जाएगी।

- राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को कैश विहीन चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की योजना 'स्मार्ट कार्ड' के माध्यम से लागू किया जाना प्रस्तावित है।

- स्वास्थ्य कार्यक्रमों का पी0पी0पी0 के माध्यम से भी संचालन करने की योजनाओं का

विस्तार किया जाता रहेगा।

- महिलाओं के लिए गत वर्ष प्रथम बार 'जेण्डर बजटिंग' आरम्भ की गई थी, जिसके अन्तर्गत 18 विभागों की योजनाओं के लिए रु0 333 करोड़ की व्यवस्था थी जिसे इस वर्ष 20 विभागों में विस्तारित करते हुए रु0 656 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जो वर्तमान में 5 जिलों में चल रहा है, को सभी जनपदों के लिए विस्तारित किया जायेगा।

- बाह्य सहायतित परियोजनाओं के लिए अगले वर्ष के आय–व्ययक में अनुमोदित योजनाओं के लिए पर्याप्त बजट प्राविधान करने और वाह्य सहायतित परियोजनाओं से अधिक से अधिक संसाधन प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा।

- नगर विकास हेतु जे0एन0यू0आर0एम0 तथा एशियन डेवलपमेंट बैंक की योजनाओं के कियान्वयन हेतु अधिक बजट व्यवस्था

की जा रही है। केन्द्र सहायतित परियोजनाओं यथा जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन के अन्तर्गत कतिपय परियोजनाएं भारत सरकार से अनुमोदित करा ली गई हैं तथा और अधिक योजनाएं अनुमोदित कराए जाने की कार्यवाही की जा रही है।

- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के परिपेक्ष्य में कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्रों हेतु भी गत वर्ष की अपेक्षा अधिक बजट व्यवस्था की जा रही है।

- उत्तराखण्ड राज्य द्वारा अपनी स्वतंत्र निर्माण इकाई 'उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम' का गठन किया जाएगा।

- कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत बीमांकित व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से गढ़वाल व कुमाऊँ मण्डलों में एक–एक कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय की स्थापना की जाएगी।

- शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाले अपवंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा सुविधा पी0पी0पी0 के अन्तर्गत उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से देहरादून, हरिद्वार तथा ऊधमसिंह नगर के लगभग 450 बच्चों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

- वर्ष 2007–08 में प्रदेश के 21 शैक्षिक रूप से पिछड़े विकासखण्डों के 1027 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी 'मध्यान्ह भोजन योजना' लागू की गई है। वर्ष 2008–09 में इस योजना को प्रदेश के सभी राजकीय एवं सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय, हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेजों में कक्षा 6, 7 व 8 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए लागू किया जा रहा है जिससे प्रदेश के 5017 विद्यालयों में पढ़ने वाले लगभग 393444 बच्चे लाभान्वित होंगे।

- 'मध्यान्ह भोजन योजना'' में कार्यरत भोजन माताओं तथा सहायिकाओं के मानदेय में 25 प्रतिशत वृद्धि की जाएगी।

- उत्पादनकर्ता इकाईयों द्वारा खरीदे जाने वाले कच्चे माल पर 'वैट' की कर दर को 4 प्रतिशत के स्थान पर केन्द्रीय बिक्री कर की समान दर के अनुरूप किया जाएगा।

- दिनांकः 1–10–2005 को नई कर प्रणाली के लागू करते समय आरम्भिक स्टौक का कई करदाता निर्धारित अवधि दिनांकः 31–12–2005 तक विवरण नहीं दे पाए थे। इस अवधि को तीन माह और बढ़ाया जाएगा।

- निर्यातकों को अपने इनपुट पर दिए गए कर की वापसी शीघ्र सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैंक गारण्टी के स्थान पर निर्यात सम्बन्धी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर वापसी का प्राविधान किया जाएगा।

- एक करोड़ तक के विक्रय धन वाले करदाताओं के लिए निर्धारित आडिट रिपोर्ट की बाध्यता में शिथिलीकरण किया जाएगा।

- कच्चे माल के साथ–साथ कन्ज्यूमेबल गुड्स पर भी इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य करने की व्यवस्था की जाएगी।

- दिल्ली से देहरादून तक हिण्डन नदी के किनारे ऐक्सप्रैस–वे–परियोजना, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP Mode) में बनायी जायेगी, के सम्बन्ध में उत्तरप्रदेश सरकार से विचार–विमर्श किया गया तथा उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति दे दी गई है। उत्तर प्रदेश द्वारा ग्रेटर नौएडा से कलसिया (सहारनपुर) तक उक्त ऐक्सप्रैस–वे बनाया जाना प्रस्तावित है तथा उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उक्त एक्सप्रैस–वे को कलसिया से देहरादून तक बनाने का प्रस्ताव है। इसके सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार से प्रारम्भिक

विचार–विमर्श हुआ है और परियोजना का विस्तृत विवरण तैयार किया जा रहा है।

- जौली ग्रान्ट हवाई अड्डे से थानो होते हुए रायपुर के लिए चार लेन सड़क लिंक का निर्माण किया जायेगा ताकि यात्रा समय कम हो सके।
- हरिद्वार–ऋषिकेश–मुनि की रेती–स्वर्गाश्रम मेगा पर्यटन परियोजना भी लाने का विचार है जिस हेतु डी0पी0आर0 तैयार कराई जा रही है।
- बेहतर वित्तीय प्रबन्धन व रोकड़ के दैनिक लेन–देन के अनुश्रवण हेतु प्रदेश के समस्त कोषागारों को इण्टर कनैक्टीविटी से जोड़ा जायेगा।
- योजनाओं में निजी पूंजी निवेश व प्रबन्धन हेतु पी0पी0पी0 योजनाओं के लिए नियोजन विभाग के अन्तर्गत पी0पी0पी0 प्रकोष्ठ बनाया जायेगा।

राजकोषीय सेवाएं :

राज्य की राजकोषीय सेवाओं में वाणिज्य कर,

आबकारी, परिवहन, स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क तथा मनोरंजन कर प्रमुख हैं। इस क्षेत्रों में कोई नया कर लगाया जाना प्रस्तावित नहीं है।

वाणिज्य कर :

वाणिज्य कर राज्य के कर राजस्व का प्रमुख स्रोत है। इस वित्तीय वर्ष में गत वित्तीय वर्ष से लगभग 20 प्रतिशत अधिक कर संग्रह का अनुमान है। अगले वित्तीय वर्ष में भी 20 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य रखते हुए रु0 1849.50 करोड़ प्राप्ति का लक्ष्य है।

विभाग को पूर्णतः कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। पंजीकृत व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु की दशा में रु0 3.00 लाख तक की बीमा योजना को आगे भी जारी रखा जाएगा।

वाणिज्य कर अधिनियम व नियमों में उत्पादनकर्ता द्वारा खरीदे जाने वाले कच्चे माल की कर दर को 4 प्रतिशत के स्थान पर केन्द्रीय बिक्रीकर की समान्य दर के अनुरूप किया जाएगा। दिनांक 1–10–2005 को नई कर प्रणाली के लागू करते समय

आरम्भिक स्टॉक का कई करदाता निर्धारित अवधि दिनांक 31–12–2005 तक विवरण नहीं दे पाए थे अतः इस अवधि को तीन महीने और बढ़ाया जाएगा। निर्यातकों को अपने इनपुट पर दिए गए कर की वापसी शीघ्र सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैंक गारण्टी के स्थान पर निर्यात सम्बन्धी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर वापसी का प्राविधान प्रस्तावित है। कर निर्धारण प्रक्रिया के सरलीकरण के उद्देश्य से नियमित कर निर्धारण के लिए अधिनियम में प्रस्तावित 9 शर्तों में से 4 शर्तों को कम करना प्रस्तावित है और इसके साथ ही रु0 5 करोड़ तक के विक्रय धन वाले करदाताओं को नियमित कर निर्धारण हेतु कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी। एक करोड़ रुपए तक के विक्रय धन वाले करदाताओं के लिए निर्धारित ऑडिट रिपोर्ट की बाध्यता में शिथिलीकरण प्रस्तावित है। कच्चे माल के साथ–साथ कन्ज्यूमेबल गुड्स पर भी इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य किया जाएगा।

आटा, मैदा, सूजी एवं दालें, सामान्यजन के दैनिक उपभोग की वस्तुएं हैं। अतः अगले

वित्तीय वर्ष से इन वस्तुओं पर 'वैट' की दर 4 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत की जाएगी।

वर्तमान में रु0 50 लाख तक वार्षिक स्थानीय खरीद बिक्री करने वाले करदाताओं के लिए 1 प्रतिशत एकमुश्त टैक्स देकर कम्पाउन्डिंग योजना का लाभ अनुमन्य है। यह लाभ केवल पुराने करदाताओं, जिनकी गत वित्तीय वर्ष की बिक्री रु0 50 लाख से कम रही हो, को ही वर्तमान में अनुमन्य है। इसका सरलीकरण करते हुए ऐसे नए करदाता जिनकी वार्षिक बिक्री रु0 50 लाख के अन्तर्गत रहने की सम्भावना है, को भी कम्पाउन्डिंग योजना का लाभ दिया जाएगा।

बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए चलाए जाने वाली कैन्टीन, जिनकी बिक्री रु0 50 लाख की सीमा के अन्तर्गत है, को सकल बिक्री पर 4 प्रतिशत एकमुश्त कर जमा कराकर कम्पाउन्डिंग योजना का लाभ दिया जाएगा।

रोड साइड पर स्थापित ढाबा व्यवसाइयों, जिनकी वार्षिक बिक्री रु0 50 लाख की सीमा तक है, के लिए

भी 4 प्रतिशत एकमुश्त कर देकर कम्पाउन्डिंग योजना लाई जाएगी।

कर अपवंचकों पर अंकुश लगाने एवं रेलवे से हो रही कर की चोरी रोकने के उद्देश्य से राज्य के 6 बड़े रेलवे स्टेशनों देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, काशीपुर, हल्द्वानी एवं रुद्रपुर के बाहर वाणिज्य कर विभाग की जांच चौकियां लगाया जाना प्रस्तावित है तथा प्रवर्तन कार्य को और सुदृढ़ किया जाएगा।

आबकारी :

राज्य के कर राजस्व का दूसरा प्रमुख स्रोत आबकारी है। वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु निर्धारित लक्ष्य रु0 461.98 करोड़ का था जिसके सापेक्ष वर्ष 2008–09 में रु0 501 करोड़ की प्राप्ति का लक्ष्य है।

मदिरा की तस्करी की रोकथाम हेतु अनुज्ञापियों या बाण्ड धारकों द्वारा अन्य प्रदेशों से लायी जा रही मदिरा व बियर तथा प्रदेश के अन्दर थोक आपूर्ति हेतु परिवहन की जा रही मदिरा का परिवहन निर्धारित मार्ग से ही अनुमन्य किया गया है। साथ ही प्रवर्तन कार्यों

पर और अधिक ध्यान दिया जाएगा।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन :

स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क में वर्ष 2007–08 के पुनरीक्षित अनुमान रु0 465.66 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2008–09 में रु0 485.04 करोड़ प्राप्ति का लक्ष्य है। अगले वित्तीय वर्ष से अचल सम्पत्ति के विक्रय पर स्टॉम्प शुल्क की दर 8 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत की जाएगी। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी को कम कर 1 प्रतिशत किया जाएगा। सर्किल रेट से अधिक दर पर बैनामा कराने पर सर्किल रेट से अधिक धनराशि पर स्टॉम्प ड्यूटी में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। जनता की सुविधा के लिए पंजीकरण कार्यालयों का चरणबद्ध रुप से कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है।

मनोरंजन कर :

प्रदेश की जनता को सस्ता एवं सुलभ मनोरंजन उपलब्ध कराए जाने की दृष्टि से नए मल्टीप्लेक्स क्षविगृह खोलने तथा बन्द पड़े क्षविगृहों को तोड़कर

सिनेमा हाल व व्यावसायिक काम्प्लैक्स का पुनर्निर्माण किए जाने का प्राविधान नियमों में किया जाएगा। क्षविगृहों में मनोरंजन कर की दर 60 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत की जाएगी तथा केबिल /डी0टी0एच0 में मनोरंजन कर की दर 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत की जाएगाी।

परिवहन :

प्रदेश के आर्थिक, सामाजिक एवं औद्योगिक विकास में परिवहन व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य में सड़क परिवहन ही यातायात का मुख्य साधन है। राज्य सरकार जनता को सरल, सुलभ एवं वहन योग्य परिवहन सेवा उपलब्ध कराने की ओर प्रयत्नशील है। प्रदेश में मार्ग दुर्घटनाओं, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में मोटर दुर्घटनाओं में कमी करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।

परिवहन निगम के सुदृढ़ीकरण हेतु रु0 12 करोड़ अंशूपंजी निवेश/ ऋण का प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2008–09 में परिवहन विभाग के सभी कार्यालयों

का कम्प्यूटरीकरण किया जाना प्रस्तावित है। चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु रु0 2.65 करोड़ का प्राविधान है।

राज्य में रेल सेवाओं के विस्तार हेतु दूरी कम करने के उद्देश्य से नई रेल लाईनों के निर्माण हेतु भूमि प्रतिकर भुगतान के लिए रु0 47 करोड़ का प्राविधान है।

अवस्थापना सुविधाओं का विकास :

सड़क एवं सेतु, ऊर्जा, सिंचाई, जलापूर्ति, सूचना प्रौद्योगिकी, नागरिक उड्डयन विकास को गति प्रदान करने के लिए मौलिक आवश्यकताएं हैं। चिकित्सा तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा भी मानव संसाधन विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन क्षेत्रों को हमने अपने बजट में विशेष प्राथमिकता दी है।

सड़क एवं सेतु :

सरकार राज्य के अन्तर्गत सड़क संयोज्यता की स्थिति में सुधार हेतु निरन्तर प्रयासरत है। लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत 13 नए खण्डों का सृजन

व सिंचाई विभाग के 6 खण्डों को लोक निर्माण विभाग के साथ सम्बद्ध करने से कार्यों की प्रगति में अनुकूल प्रभाव पड़ा है। वर्तमान कच्चे मार्गों को पक्का करने तथा जीर्ण–क्षीर्ण स्थिति वाले मार्गों के जीर्णोद्धार तथा यथावश्यकता मार्गों के विस्तारीकरण हेतु ए0डी0बी0 वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत प्राथमिकता अनुसार क्रियान्वयन किया जाएगा।

राज्य के अन्तर्गत विभिन्न शासकीय निर्माण कार्यों को पूर्व निर्धारित लागत, समय, गुणवत्ता, मानकों और विशिष्टियों के आधार पर पूर्ण करने के लिए सरकार ने ''उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम'' के गठन का निर्णय लिया है जिसके लिए रु0 1 करोड़ की अंशपूंजी हेतु व्यवस्था की गई है। लोक निर्माण विभाग के कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक प्राविधान रु0 845.45 करोड़ के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2008–09 में रु0 1058.25 करोड़ का बजट प्राविधान है।

ऊर्जा :

राज्य की विद्युत मांग में तेजी से वृद्धि हो रही है जो एक अच्छा संकेत है परन्तु साथ ही विद्युत की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति, वहन योग्य दरों पर विद्युत आपूर्ति, विद्युत वितरण के परिप्रेक्ष्य में विद्युत की तकनीकी व वाणिज्यिक हानियों को मान्य स्तर तक कम से कम समय में लाने, विद्युत सुरक्षा/ संरक्षण एवं नवीकृत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने की चुनौती भी हमारे सन्मुख है।

राज्य में लगभग 25000 मेगावाट से अधिक क्षमता की जल विद्युत उत्पादन सम्भावना चिन्हित की गई है। इस सम्भावना के सापेक्ष अभी तक केवल 2819 मेगावाट क्षमता का विदोहन हो पाया था। हाल ही में मनेरी भाली द्वितीय चरण (304 मेगावाट) परियोजना से विद्युत उत्पादन प्रारम्भ हो गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक पोषित योजना के अन्तर्गत रु0 84 करोड़ का प्राविधान लघु जल विद्युत परियोजनाओं के लिए है। पाला–मनेरी (480 मेगावाट) सहित कुछ अन्य जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण भी प्रारम्भ करने हेतु सरकार प्रयासरत है।

यह पूर्ण प्रयास है कि इस वित्तीय वर्ष में राज्य के सभी गांवों का विद्युतीकरण कार्य पूर्ण कर लिया जाए तथा वर्ष 2009 तक प्रत्येक घर तक विद्युत पहुंच सुनिश्चित हो जाए। इन लक्ष्यों हेतु कार्य प्रगति पर है।

वर्ष 2008–09 के अन्त तक सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक विद्युत हानियों को वर्तमान 38 प्रतिशत के स्थान पर 24 प्रतिशत किए जाने का लक्ष्य है।

दूरस्थ गांवों व तोकों में स्थानीय स्तर पर विद्युत पूर्ति के लिए उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के माध्यम से वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों/ योजनाओं का उपयोग कर ऐसे क्षेत्रों में विद्युतीकरण के लक्ष्य को पूरा करने हेतु कार्य प्रगति पर है।

दूरस्थ क्षेत्रों में स्थापित 34 माइक्रोहाईडिल परियोजनाओं से समूहीकरण माध्यम से कार्बन ट्रेडिंग प्राप्त करने की प्रक्रिया अन्तिम चरण में है, जिस हेतु मेजबान देश (Host Country) का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है और पंजीकरण की कार्यवाही की जा रही है। राज्य में अन्य क्षेत्रों में भी कार्बन

ट्रेडिंग लाभ प्राप्त करने के प्रयास किए जाएंगे।

ऊर्जा की विभिन्न योजनाओं के लिए रु0 661.59 करोड़ का प्राविधान है।

पेयजल :

पेयजल क्षेत्र की सेवाओं में सुधार हेतु सरकार पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से जनसहभागिता के आधार (SWAP) पर स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के साथ–साथ स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में समग्र विकास किए जाने हेतु प्रतिबद्ध है।

ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2008–09 में रु0 179.55 करोड़ का प्राविधान किया गया है। इस धनराशि में ग्रामीण पेयजल योजनाओं के जीर्णोद्धार के लिए रु0 30 करोड़, हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन के लिए रु0 21 करोड़, राज्य सैक्टर ग्रामीण के अन्तर्गत वृहद योजनाओं के निर्माण हेतु रु0 60 करोड़, यात्रा मार्गों एवं यात्रा स्थानों पर पेयजल व्यवस्था हेतु रु0 1 करोड़ का प्राविधान है।

राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में

पेयजल समस्या तथा जल स्रोतों के घटते स्राव को दृष्टिगत रखते हुए जल स्रोतों के संवर्द्धन एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग योजनाओं हेतु रु0 5 करोड़ का प्राविधान है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत रु0 2 करोड़ का प्राविधान है। बाह्य सहायतित पेयजल एवं स्वच्छता सम्बन्धी योजनाओं के अन्तर्गत रु0 175 करोड़ का प्राविधान है।

भारत सरकार द्वारा संचालित जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना के अन्तर्गत राज्य के चयनित तीन नगरों देहरादून, हरिद्वार एवं नैनीताल में पेयजल, जलोत्सारण एवं मल निकासी सुविधा हेतु प्राथमिकता पर योजनाएं तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है।

नगरों में पेयजल व्यवस्था के पुनर्गठन/ सुदृढ़ीकरण हेतु रु0 10 करोड़ का प्राविधान है।

पतित पावनी गंगा एवं सहायक नदियों को स्वच्छ रखने के लिए गंगा कार्य योजना प्रथम चरण की

परिसम्पत्तियों के रख–रखाव हेतु रु0 10 करोड़, उत्तराखण्ड में गंगा कार्य योजना में स्वीकृत अतिरिक्त कार्यों हेतु रु0 5 करोड़ तथा गंगा एवं यमुना नदियों की सफाई हेतु रु0 50 लाख का प्राविधान है।

सिंचाई एवं लघु सिंचाई :

राज्य में असिंचित क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं सृजित करने, सृजित सिंचाई सुविधाओं का सुचारु रख–रखाव तथा सिंचाई हेतु पानी को किसानों के खेतों तक पहुंचाने के दौरान जल की हानि को कम करने के लिए राज्य सरकार विभिन्न स्रोतों से अधिक से अधिक वित्त पोषण के लिए प्रयास कर रही है। तदनुरुप आयोजनागत पक्ष में वित्तीय वर्ष 2008–09 में रु0 627.16 करोड़ का प्राविधान है जिसमें त्वरित सिंचाई लाभ योजना के अधीन रु0 504 करोड़, नाबार्ड वित्त पोषित योजनाओं के लिए रु0 3 करोड़ एवं बाढ/ नदी कटाव से बचाव योजनाओं हेतु रु0 5 करोड़ का प्राविधान है।

जनपद हरिद्वार की स्थानीय नहरों का उत्तर

प्रदेश से हस्तान्तरण शीघ्र होना सम्भावित है। इन नहरों के अनुरक्षण हेतु नई योजना के रुप में रु0 75 लाख का बजट प्राविधान है।

लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से राज्य के पर्वतीय जनपदों में सिंचाई, गूल, हौज एवं हाइड्रम तथा मैदानी क्षेत्र में आर्टीजन कूप, बोरिंग पम्प सेट आदि निर्माण से अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु लघु सिंचाई योजनाओं के लिए रु0 391.16 करोड़ का प्राविधान है।

नागरिक उड्डयन :

राज्य में व्यापक पर्यटन सम्भावनाओं को विकसित करने एवं औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं के अन्तर्गत राज्य के लिए विमानन सुविधाओं का शीघ्र एवं यथोचित विकास किया जाना भी अत्यन्त आवश्यक है। जौलीग्रांट हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तथा पन्तनगर हवाई अड्डे को कार्गो एयर पोर्ट के रुप में विकसित करने की

योजनान्तर्गत जौलीग्रांट में विस्तारित रन–वे का निर्माण कार्य पूर्ण कर नान–शिड्यूल फ्लाइट्स के लिए खोल दिया गया है तथा व्यावसायिक सेवाएं शीघ्र आरम्भ हो जाएंगी।

नैनी–सैनी हवाई पट्टी का विस्तारीकरण एवं उच्चीकरण किया जाएगा। प्रत्येक जनपद में उपुयक्त स्थलों पर कम से कम एक हैलीपैड के निर्माण की योजना बनाई गई है और अन्य स्थलों के लिए परीक्षण किया जा रहा है। उक्त सभी योजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए रु0 42 करोड़ का प्राविधान है।

सूचना प्रौद्योगिकी :

शासन व्यवस्था में सुधार व पारदर्शी, सुदृढ़ तथा विश्वसनीय शासनतंत्र की स्थापना के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का हर स्तर पर उपयोग एक अनिवार्यता बन चुकी है।

राष्ट्रीय ई–शासन योजना (एन0ई0जी0पी0) के अन्तर्गत राज्य के लिए ई–गवर्नेंन्स तथा सेन्ट्रल डाटा सैन्टर के लिए भारत सरकार के दिशा निर्देशों के

अनुरुप कार्यवाही की जा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न कार्यों के लिए रु0 26.58 करोड़ की व्यवस्था है।

शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण :

उत्तराखण्ड राज्य विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। वर्तमान में राज्य सरकार प्रदेश में शत प्रतिशत साक्षरता दर को प्राप्त करने हेतु कृत संकल्प है। प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु रु0 867.74 करोड़ का प्राविधान है।

कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु रु0 3.98 करोड़ तथा मध्यान्ह भोजन योजना हेतु रु0 108.80 करोड़ का प्राविधान है।

कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 8 की छात्राएं आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियोंवश पुनः शिक्षा छोड़ने को मजबूर न हो जाएं, इसके लिए उनके भावी अध्ययन हेतु इन विद्यालयों का हाई स्कूल स्तर तक उच्चीकरण किया

जाना प्रस्तावित है जिसके लिए रु0 2 करोड़ का प्राविधान नई मांग से किया गया है।

माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रत्येक विकास खण्ड मुख्यालय के इण्टर कालेज को आवासीय विद्यालय में परिवर्तन किए जाने की योजना बनाई जा रही है। साथ ही माध्यमिक स्तर पर छात्रों के शिक्षा त्यागने को रोकने एवं शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु राज्य में मुक्त विद्यालय खोलने की योजना बनाई जा रही है।

राजीव गाँधी नवोदय विद्यालयों के भवनों के निर्माण हेतु रु0 15 करोड़ का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त हाई स्कूल एवं इण्टर कालेजों में प्रयोगशाला निर्माण हेतु रु0 5.50 करोड़ का प्राविधान है।

राज्य में संस्कृत शिक्षा के विकास के उद्देश्य से शासन स्तर पर पृथक संस्कृत शिक्षा विभाग का गठन किया गया है। संस्कृत शिक्षा के कार्यों हेतु पृथक से संस्कृत शिक्षा निदेशालय व जिला स्तरीय ढ़ांचे का गठन किया जाएगा।

उच्च शिक्षा :

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। असेवित एवं पिछड़े क्षेत्रों में नवीन महाविद्यालयों की स्थापना, महाविद्यालयों का ढ़ाँचागत विकास आदि सम्मिलित हैं। उच्च शिक्षा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008–09 में रु0 132 करोड़ का प्राविधान है।

वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए आयोजनागत कार्यों हेतु हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के विकास हेतु रु0 8.10 करोड़, कुमाऊँ विश्वविद्यालय के लिए रु0 7 करोड़, दून विश्वविद्यालय के लिए रु0 15 करोड़, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए रु0 1 करोड़ तथा मुक्त विश्वविद्यालय के लिए रु0 90 लाख का प्राविधान है।

तकनीकी शिक्षा :

वर्तमान में राज्य में 28 राजकीय पालीटेक्निक सहित 39 पालीटेक्निक हैं। पालीटेक्निकों में शिक्षण प्रशिक्षण को अधिक रोजगारोन्मुखी बनाने पर बल दिया

जा रहा है। इंजीनियरिंग कालेजों के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2008–09 में आयोजनागत पक्ष में रु0 13.87 करोड़ का प्राविधान है जिसमें घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कालेज हेतु रु0 5.75 करोड़, कुमाऊँ इंजीनियरिंग कालेज द्वाराहाट हेतु रु0 3 करोड़, पन्तनगर कालेज आफ टैक्नालोजी हेतु रु0 3.62 करोड़ तथा तकनीकी विश्वविद्यालय हेतु रु0 1.50 करोड़ का प्राविधान है। विश्व बैंक पोषित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के द्वितीय फेज को लागू किए जाने का प्रयास किया जा रहा है।

खेल :

राज्य में खेलों के विकास हेतु अवस्थापना सुविधाओं का निरन्तर सृजन किया जा रहा है। प्रदेशीय क्रीड़ा संघों, क्लबों आदि को प्रतियोगिताओं के आयोजन तथा क्रीड़ा उपस्करों के क्रय हेतु रु0 70 लाख का प्राविधान है। स्पोर्टस कालेज देहरादून में एक बालिका छात्रावास का निर्माण किया जाएगा जिसके लिए रु0 1 करोड़ की व्यवस्था है। अगले वर्ष शीतकालीन साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स,

जो औली तथा देहरादून में आयोजित किए जाएंगे, के लिए रु0 50 करोड़ की व्यवस्था है।

युवा कल्याण :

युवा कल्याण के अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर एक मिनी स्टेडियम की योजना के अन्तर्गत 37 मिनी स्टेडियम निर्माणाधीन हैं। इन स्टेडियमों के निर्माण हेतु रु0 6.04 करोड़ का प्राविधान है।

चिकित्सा, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा :

राज्य सरकार जनसामान्य को गुणवत्तापरक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु निरन्तर प्रयासरत है। मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु सुरक्षित संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए 200 परिवार कल्याण उप केन्द्रों का विस्तारीकरण किया जा रहा है।

प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार हेतु अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना, परिवार कल्याण उप केन्द्रों के भवन निर्माण व राजकीय

एलोपैथिक चिकित्सालयों के भवनों के निर्माण प्रस्तावित हैं।

प्रत्येक विकासखण्ड में आधारभूत सुविधाओं से युक्त चिकित्सालय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना चरणबद्ध रुप में की जा रही है। सुदूर क्षेत्रों में जनसामान्य को सचल चिकित्सालयों द्वारा चिकित्सा तथा निदान सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी।

बी0एस0सी0 नर्सिंग कालेज का भवन निर्माण कार्य गतिमान है, जिसकी स्थापना वर्ष 2008–09 में की जाएगी। मानव संसाधन की कमी को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार सार्वजनिक–निजी सहभागिता के आधार पर विशिष्ट निदान सेवाएं, प्राथमिक उपचार सेवाएं, मोबाइल चिकित्सा सेवाएं तथा मातृ एवं शिशु कल्याण सेवाएं उपलब्ध कराएगी। देहरादून स्थित गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सालय को तृतीय स्तर की नेत्रोपचार सुविधाओं हेतु उच्चीकृत किया जाएगा।

उत्तराखण्ड राज्य में वर्तमान में कुल 543

राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति के चिकित्सालय कार्यरत हैं। उक्त चिकित्सालय सुदूर असेवित ग्रामीण अंचलों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक की जनता को प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति से लाभान्वित कर रहे हैं। पंचकर्म सहायक एवं नर्सेज प्रशिक्षण प्रारम्भ किए जाने का भी लक्ष्य आगामी वित्तीय वर्ष 2008–09 में प्रस्तावित है। होम्यापैथिक चिकित्सा पद्धति के विस्तार के लिए प्लान में रु0 1.80 करोड़ का प्राविधान है।

श्रीनगर मेडिकल कालेज की स्थापना का कार्य तेजी से चल रहा है जिसमें कालेज के लिए अधिकांश भवनों का निर्माण द्रुत गति से किया जा रहा है और फैकल्टी सहित 289 पदों का सृजन किया जा चुका है एवं फैकल्टी के 47 पदों पर तैनाती भी कर दी गई है। प्रथम वर्ष हेतु आवश्यक भवनों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। इस मेडिकल कालेज का सत्र वर्ष 2008–09 से प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

वर्ष 2008–09 में राज्य में समस्त गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए 'सार्वभौमिक

स्वास्थ्य बीमा योजना'' लागू की जाएगी। इस योजना में प्रत्येक परिवार को रु0 30 हजार प्रति वर्ष तक चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा दी जाएगी। इसी के साथ, परिवार के किसी भी सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने पर रु0 25 हजार की बीमा धनराशि भी दी जाएगी। परिवार के कमाऊ मुखिया की बीमारी या दुर्घटना के कारण चिकित्सालय में भर्ती होने पर रु0 50 प्रतिदिन के हिसाब से मुआवजा (अधिकतम 15 दिन के लिए) देय होगा। आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस चार्जेज हेतु आए खर्च की एक सीमा तक प्रतिपूर्ति भी की जाएगी।

राज्य सरकार द्वारा राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनर्स हेतु कैश विहीन चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिये कर्मचारियों/ पेंशनर्स को स्मार्ट कार्ड प्रदान किये जायेंगे। इस योजना के लिये रू0 1 करोड़ का प्राविधान किया गया है। इस योजना के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु रू0 25 लाख का प्राविधान है।

चिकित्सा क्षेत्र के विभिन्न आयोजनागत कार्यों के लिए गत वर्ष के आय–व्ययक अनुमानों के सापेक्ष लगभग 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि करते हुए रु0 323.26 करोड़ का प्राविधान है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी :

प्रदेश में विज्ञान का लोकव्यापीकरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का राज्य के चहुमुखी विकास हेतु प्रत्येक स्तर पर उपयोग, विकास योजनाओं का निरुपण तथा क्रियान्वयन में अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र की सक्रियता आदि की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु रु0 1 करोड़ का प्राविधान है। राज्य सरकार देहरादून में साइंस सिटी की स्थापना के लिए भी प्रयास कर रही है।

औद्योगिक विकास :

राज्य में लागू विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज के तहत प्रदेश में बड़ी संख्या में उद्योग स्थापित हो रहे हैं, इसके लिए बड़े औद्योगिक आस्थानों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा इनमें नई इकाईयां स्थापित हो भी चुकी हैं, तथा अन्य कतिपय इकाईयां स्थापना

के विभिन्न चरणों में हैं।

प्रदेश के उद्योगों में निवेश के 3350 से अधिक नए प्रस्ताव क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में है। अब तक कुल 976 बड़ी इकाईयां उत्पादन में आ चुकी हैं, जिनमें लगभग रु0 7722 करोड़ का पूंजी निवेश हुआ है तथा लगभग 55047 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। स्थापनाधीन सभी उद्योगों के भी उत्पादन में आने से लगभग दो लाख से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे तथा इसे अप्रत्यक्ष रुप से भी रोजगार के बड़ी मात्रा में अवसर सृजित होंगे एवं दूसरी ओर राजस्व में भी परोक्ष रुप से वृद्धि होगी।

प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में अपेक्षित मात्रा में औद्योगिक विकास एवं पूंजी निवेश नहीं हो सका है। अतः सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना हेतु उद्यमियों को आकर्षित किया जाए तथा इसके लिए वहां पर अतिरिक्त प्रोत्साहन सहायता व सुविधाएं प्रदान की जाए। अतः पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने हेतु विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन

नीति–2008 के तहत सुविधाओं का एक समग्र पैकेज दिया जा रहा है तथा इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाएगा।

शिक्षित युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी0एम0आर0वाई0) प्रायोजित की गयी है। प्रदेश सरकार के अनुरोध पर लाभार्थियों का लक्ष्य 8000 निर्धारित कर दिया गया है।

हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों के छोटे कारीगरों व बुनकरों को विपणन प्रोत्साहन हेतु प्रदेश के प्रमुख यात्रा मार्गों, पर्यटन केन्द्रों में ''हिमाद्रि'' नाम से एम्पोरियम स्थापित किए जा रहे हैं।

भारत सरकार के सहयोग से दो हथकरघा क्लस्टर स्वीकृत किए जा चुके हैं तथा पांच प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रेषित किए गए हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग इकाईयों को प्रोत्साहित किए जाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

खनिजों से प्राप्त राजस्व की वृद्धि हेतु खनिज

नीति में संशोधन पर सरकार विचार कर रही है। वर्ष 2008–09 में कुल रु0 85 करोड़ राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। औद्योगिक विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए रु0 56.68 करोड़ का प्राविधान है।

शहरी एवं आवास विकास :

आबादी की वृद्धि को देखते हुए शहरी क्षेत्रों में अवस्थापना सहित विभिन्न मूलभूत सुविधाओं का विकास तेजी से किया जाना आवश्यक है और साथ ही स्थानीय शासन व्यवस्था (Local Governance) कों भी सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है।

वर्तमान में विभिन्न केन्द्र पोषित/ केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं सहित अवस्थापना विकास/ सुधार, सफाई, रोजगार सृजन आदि विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (जे0एन0यू0आर0एम0) योजना के अन्तर्गत राज्य के तीन शहरों क्रमशः देहरादून, हरिद्वार एवं नैनीताल का चयन किया गया है। इन नगरों हेतु रु0 252.72 करोड़

की सिटी डेवलपमेंट योजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी है। देहरादून के नगरीय जलापूर्ति पुनर्गठन हेतु रु0 70.02 करोड़, नैनीताल नगर क्षेत्र की जलापूर्ति पुनर्गठन हेतु रु0 5.47 करोड़ तथा हरिद्वार जलापूर्ति पुनर्गठन हेतु रु0 47.84 करोड़ की परियोजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। इन योजनाओं हेतु वर्ष 2008–09 में रु0 68.74 करोड़ का बजट प्राविधान है।

जे0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत ही शहरी गरीबों के लिए मलिन बस्ती सुधार एवं आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार से रु0 13.86 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की गई है जिस हेतु वित्तीय वर्ष 2008–09 में रु0 4 करोड़ का बजट प्राविधान है।

जे0एन0यू0आर0एम0 के उप मिशन ''एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम'' के अन्तर्गत देहरादून, नैनीताल एवं हरिद्वार को छोड़कर अन्य शहरों की मलिन बस्तियों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु अभी तक पौड़ी एवं श्रीनगर की योजना व डी0पी0आर0 पर भारत

सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है।

नगरों की उचित सफाई व्यवस्था हेतु नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के कार्यक्रम हेतु वर्ष 2008–09 में रु0 6.60 करोड़ का प्राविधान है।

एशियन डेवलपमेंट बैंक (ए0डी0बी0) सहायतित परियोजना के अन्तर्गत राज्य के 31 चयनित नगरीय क्षेत्रों में सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, जलापूर्ति, जल निकासी (ड्रेनेज) और अवस्थापना विकास सुविधाओं के सम्बन्ध में 500 मिलियन अमरीकी डालर की ए0डी0बी0 के निदेशक मण्डल द्वारा संस्तुत की जा चुकी है। इस परियोजना को चार चरणों में विभाजित किया गया है जिसके अन्तर्गत प्रथम चरण में 86 मिलियन अमेरिकी डालर की संस्तुति भी प्राप्त हो गई है। यह परियोजना 2015 तक चलेगी। शहरी विकास की विभिन्न योजनाओं हेतु रु0 171.25 का प्राविधान किया गया है।

कुम्भ मेला–2010 :

कुम्भ मेला 2010 हेतु रु0 48.50 करोड़ का

प्राविधान है।

संस्कृति :

उत्तराखण्ड की गौरवमयी लोक पारम्परिक सांस्कृतिक विरासत अपना एक अलग स्थान रखती है। पवित्र गंगा–यमुना के उद्‌गम स्थल एवं मनीषियों–ऋषियों की तपस्थली, वेद पुराणों की रचना केन्द्र, देवभूमि के नाम से ख्याति प्राप्त, इस क्षेत्र का विशेष महत्व है। राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के रख–रखाव एवं उन्नयन हेतु संगीत, नृत्य, नाटक, लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक कला आदि का विकास किया जा रहा है। वर्ष 2008–09 में संस्कृति विभाग के लिए रु0 14.75 करोड़ का प्राविधान है।

पर्यटन :

राज्य को राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन आकर्षण के रूप में स्थापित कर, पर्यटन को प्रदेश की आर्थिक विकास की धुरी के रुप में विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। 'वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली' योजनान्तर्गत वर्ष 2008–09 में रु0 6 करोड़ का

प्राविधान है।

विश्व पर्यटन संगठन के विषय विशेषज्ञों के द्वारा पर्यटन मास्टर प्लान तैयार किया गया है जिसकी रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त होनी सम्भावित है। राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों व प्रमुख तीर्थ स्थलों पर सुगम आवागमन हेतु कई रोप–वे परियोजनाएं परिकल्पित की जा रही हैं।

हरिद्वार– ऋषिकेश–मुनि–की–रेती, स्वर्गाश्रम मेगा पर्यटन सर्किट के विकास हेतु स्वीकृत परियोजना रिपोर्ट आई0टी0डी0सी0 दिल्ली के माध्यम से तैयार कराई जा रही है। साहसिक पर्यटन को विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पर्यटन विकास की योजनाओं के लिए वर्ष 2008–09 में रु0 81.76 करोड़ का प्राविधान है।

समाज कल्याण :

सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक एवं निःशक्तजनों को समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने की ओर सतत्

प्रयत्नशील है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विकलांग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के शैक्षिक विकास हेतु छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति, तकनीकी शिक्षा के लिए उन्हें पाठ्य पुस्तकों तथा उपकरणों के रुप में सहायता दी जा रही है।

प्रदेश में इस समय कुल 22 आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित हैं जिनके लिए वर्ष 2008–09 के लिए रु0 14.28 करोड़ का प्राविधान है।

अल्पसंख्यक छात्र–छात्राओं को वर्ष 2008–09 में छात्रवृत्ति हेतु रु0 14.05 करोड़ का प्राविधान है। गौरा देवी कन्या धन योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सहित समस्त बी0पी0एल0 परिवारों की इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण प्रत्येक छात्रा को रु0 25 हजार की धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र के रुप में दी जा रही है जिसके लिए वर्ष 2008–09 में रु0 8 करोड़ का प्राविधान है।

कल्याणकारी योजनान्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग भरण–पोषण अनुदान, विधवा भरण पोषण

अनुदान के अन्तर्गत लगभग रु0 107.09 करोड़ का बजट प्राविधान है। सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत विधवाओं की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान, वृद्ध /अशक्त लोगों के लिए आश्रम की व्यवस्था, भिक्षुक गृह व्यवस्था आदि पर वर्ष 2008–09 के लिए लगभग रु0 42 लाख का प्राविधान है।

बी0पी0एल0 परिवारों की सामाजिक सुरक्षा हेतु जनश्री बीमा योजनान्तर्गत वर्ष 2008–09 के लिए रु0 6.24 करोड़ का प्राविधान है।

सैनिक कल्याण :

राज्य में काफी संख्या में पूर्व सैनिक, पूर्व सैनिकों की विधवाएं तथा आश्रित हैं, जिनकी देखभाल के लिए केन्द्र व राज्य सरकार बराबर जिम्मेदारी वहन कर रही है। सैनिक कल्याण की विभिन्न योजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2008–09 में लगभग रु0 14.54 करोड़ का प्राविधान है। राज्य में ईको टास्क फोर्स की चार अतिरिक्त कम्पनियों की स्थापना की कार्यवाही की जाएगी जिसमें दो कम्पनी गढ़वाल एवं दो कम्पनी

कुमाऊँ में स्थापित की जाएंगी।

कृषि, जलागम एवं गन्ना विकास :

राज्य सरकार कृषि में चार प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है। वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक अनुदान की तुलना में वर्ष 2008–09 में कृषि विभाग के लिए गत वर्ष के सापेक्ष 27 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए बजट प्राविधान किया गया है।

राज्य में कृषि विविधीकरण तथा जैविक खेती कार्यक्रम को विस्तार दिया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्र में स्थानीय दलहनी फसलों के उत्पादन पर बल दिया जा रहा है। आधुनिक परिवेश में सूचना तकनीक के वृहद् स्तर पर उपयोग के लिए सभी विकास खण्ड मुख्यालयों पर किसान सूचना केन्द्रों की स्थापना का कार्य भी प्रगति पर है।

कृषि क्षेत्र में शिक्षण, शोध एवं प्रसार कार्य को गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर के माध्यम से संचालित किया

जा रहा हैं। विश्वविद्यालय संचार केन्द्र में एक एफ0एम0 रेडियो स्थापित करने की स्वीकृति केन्द्र सरकार से प्राप्त की गई है एवं विश्वविद्यालय संचार केन्द्र पर ओपन यूनिवर्सिटी के सहयोग से डिग्री व डिप्लोमा के 11 पाठ्यक्रम लागू किए जा रहे हैं।

प्राकृतिक संसाधनों यथा जल, जमीन तथा वनों के सुनियोजित उपयोग व प्रबन्धन तथा कृषि आधारित कार्यक्रमों को जन उपयोगी बनाने हेतु जलागम प्रबन्धन एवं विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

राज्य के गन्ना किसानों हेतु सरकार विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रही है। सरकार सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों एवं गन्ना उत्पादन में सुधार के लिए भी प्रयास कर रही है। गन्ना विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए रु0 9.65 करोड़ का प्राविधान है।

उद्यान :

राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों तथा जलवायु को देखते हुए कृषि योग्य भूमि का अधिकतम एवं

लाभकारी उपयोग औद्यानिकी फसलों से सम्भव है। साथ ही फूलों व जड़ी–बूटियों के लिए भी यह क्षेत्र अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राजकीय एवं निजी क्षेत्र में औद्यानिक फसलों आदि के विकास हेतु अनेक कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं। वर्ष 2008–09 में योजनागत कार्यों के लिए, औद्यानिक क्षेत्र, जड़ी–बूटी/ भेषज तथा रेशम विकास के लिए कुल रु0 45.69 करोड़ का प्राविधान है।

पंचायती राज :

राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वर्ष 2007–08 में ग्राम पंचायतों को रु0 79.80 करोड़, क्षेत्र पंचायतों को रु0 31.98 करोड़ तथा जिला पंचायतों को रु0 32.75 करोड़ आबंटित की गई। वर्ष 2008–09 में इस हेतु रु0 216 करोड़ का प्राविधान है।

सहकारिता :

सहकारिता के माध्यम से अति न्यून इकाईयों से उत्पादन, वितरण तथा विपणन आदि का क्रियान्वयन

एवं संचालन लाभप्रद रुप से किया जा रहा है तथा उत्पादकों को उचित मूल्य पर इनपुट समय से मिल रहे हैं। कृषकों को उनके घर के नजदीक फसली ऋण एवं कृषि निवेश उपलब्ध कराने में प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों का महत्वपूर्ण योगदान है।

वर्ष 2008–09 में जिला सहकारी बैंकों के कम्प्यूटराईजेशन, सहकारी विपणन संघ के भवन निर्माण एवं अन्य योजनाओं हेतु कुल रु0 20.88 करोड़ का प्राविधान है।

वन :

राज्य के वन क्षेत्र का उत्तराखण्ड राज्य के लिए ही नहीं अपितु पूरे देश व हिमालयी क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य में 64.79 प्रतिशत अभिलिखित वन क्षेत्र है। जबकि वनाच्छादित क्षेत्र 45. 74 प्रशित है, जिससें राज्य की प्रत्येक योजना व गतिविधि में वानिकी क्षेत्र का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव रहता है।

राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र

में 66 प्रतिशत वनाच्छादन का लक्ष्य वर्णित है जिसे प्राप्त करने के लिए राज्य में वृक्षारोपण नीति प्रतिपादित है। इस नीति के अन्तर्गत रिक्त/ अनवरत रुप में उपलब्ध वन भूमि, गैर वन भूमि, निजी भूमि इत्यादि में अगले 20 वर्षों में लगभग 5000 वर्ग कि0मी0 भूमि में वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। वानिकी के क्षेत्र में जन सहभागिता के माध्यम से वनों के प्रबन्धन को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है एवं वन पंचायतों की भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास जारी हैं।

औषधीय एवं सुगन्ध पादप राज्य की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। वन विभाग के माध्यम से राज्य भर में 29 जड़ी–बूटी पौधालयों की स्थापना की गई है तथा 473 पौधालयों में अन्य पौधों के साथ जड़ी–बूटी पौधों का उत्पादन किया जा रहा है।

उत्तराखण्ड की जैव विविधता एवं विभिन्न भौगोलिक आकर्षण इकोटूरिज्म के सन्दर्भ में भी प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है। अतः इस दिशा में विशेष

ध्यान दिया जाएगा। वन विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए आयोजनागत पक्ष में रु0 192.97 करोड़ का प्राविधान है।

ग्राम्य विकास :

राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण अवस्थापना सुविधाओं के विकास, क्षेत्रीय विकास, गरीबी उन्मूलन एवं ग्रामीणों के उत्थान के लिए प्रयासरत है। राज्य में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत रोजगार सृजन परक योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। ग्रामीण आवास कार्यक्रम के अन्तर्गत 12809 आवासों के निर्माण का लक्ष्य है जिसके लिए रु0 10 करोड़ का प्राविधान है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भूमि अधिग्रहण व प्रतिकर हेतु रु0 54.50 करोड़ का प्राविधान है। बाह्य सहायतित हिमालयी आजीविकास सुधार परियोजना के लिए लगभग रु0 35 करोड़ का प्राविधान है।

विधायक निधि एवं क्षेत्र निधि :

विधायक निधि के अन्तर्गत रु0 86.97 करोड़ का प्राविधान है। क्षेत्र निधि के अन्तर्गत भी रु0 27.75 करोड़ का प्राविधान है।

पशुपालन, डेरी विकास तथा मत्स्य पालन :

राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन एवं डेरी विकास का योगदान महत्वपूर्ण है। दुधारु पशुओं की नस्ल को सुधारने एवं पशुओं के रोगों की रोकथाम व बचाव की व्यवस्था करने का दायित्व उत्पादन वृद्धि के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।

वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु गौ–विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना, पशु कल्याण, चारा बैंक, गौ सेवा आयोग तथा गौ सदनों की स्थापना प्रस्तावित है। शासकीय अनुदान पर पशुपालकों को चारा काटने की मशीन तथा निःशुल्क बकरा सांड वितरण योजनाएं प्रस्तावित हैं।

डेरी उद्योग को ग्रामीण क्षेत्रों में आय के अतिरिक्त साधन के रूप में विकसित करने तथा

नगरों, यात्रा मार्गों, तीर्थ स्थानों आदि में उत्त्म गुणवत्ता के दूध एवं दुग्ध पदार्थों की उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए सरकार प्रयासरत है। वर्ष 2008–09 हेतु डेरी विकास की योजनाओं हेतु रु0 13.86 करोड़ का प्राविधान है।

मानव निर्मित विशाल टिहरी जलाशय में मत्स्यकी विकास की सम्भावनाएं उपलब्ध हुई हैं, अतः टिहरी जलाशय में मत्स्यकी स्थापना एवं संवर्धन हेतु एक मत्स्य प्रक्षेत्र हैचरी की स्थापना की जाएगी। मत्स्य विकास की विभिन्न योजनाओं हेतु रु0 8.12 करोड़ का प्राविधान है।

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन :

विभाग के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना व शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना क्रियान्वित की जा रही है जिसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में सेवायोजन तथा स्वतः रोजगार के लिए सम्बन्धित प्रशिक्षणार्थी सक्षम हो जाता है। प्रत्येक वर्ष राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उत्तीर्ण होने वाले लगभग 4000

प्रशिक्षणार्थियों की सुविधा के लिए प्रदेश में 2 प्लेसमैंट सेंटर खोले जाने प्रस्तावित हैं।

गृह एवं आन्तरिक सुरक्षा :

प्रदेश की प्रगति हेतु सुदृढ़ कानून व्यवस्था, सुरक्षा, विधि सम्मत व्यवस्था, मौलिक एवं मानवाधिकारों की रक्षा आदि विभिन्न पहलुओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अपराधों के अन्वेषण में आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक अपनाने, अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर आतंकवादी गतिविधियों को रोकने आदि के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। पुलिस प्रशासन में होमगार्डस एवं नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन, अभियोजन विभाग तथा कारागार विभाग का भी विशेष योगदान है।

आधुनिक अपराधों के अनावरण एवं नियंत्रण हेतु जनपद हरिद्वार में बम निरोधक दस्ते तथा 2 अतिरिक्त श्वान दलों की व्यवस्था के लिए रु0 31.04 लाख का प्राविधान है। प्रदेश के प्रत्येक जनपद में 1 कारागार की स्थापना किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस कर्मियों के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के

लिए वित्तीय वर्ष 2008–09 में रु0 20.02 करोड़ का प्राविधान है।

होमगार्ड्स :

प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने में होमगार्डस स्वयंसेवकों का महत्वपूर्ण योगदान है। होमगार्डों के मानदेय के लिए रु0 7.50 करोड़ का प्राविधान है।

न्याय :

अधीनस्थ न्यायालयों में मूलभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2008–09 में रु0 10 करोड़ का प्राविधान है।

राजस्व :

उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा व पर्यटन आदि क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा मिल सके इस दृष्टि से निवेशकों से प्राप्त भूमि क्रय प्रस्तावों को यथा सम्भव शीघ्रता से अनुमति दी जाएगी।

प्रदेश के एक बड़े भू–भाग पर राजस्व पुलिस कार्यरत है। इस दृष्टि से कानून व्यवस्था में राजस्व

पुलिस का महत्वपूर्ण योगदान है। राजस्व पुलिस के सुदृढ़ीकरण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं तथा राजस्व पुलिस को वाहन, दूरसंचार एवं जांच आदि के उपकरणों से भी सुसज्जित किया जा रहा है।

राजस्व अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण योजना के अन्तर्गत खतौनी के कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इसके अगले चरण में खसरा, भूमि पंजीकरण, दाखिल खारिज एवं भूमि के मानचित्र को भी कम्प्यूटरीकृत कराए जाने की कार्यवाही प्रस्तावित है। समस्त तहसीलों को इस कार्य के लिए सुदृढ़ किया जा रहा है।

राजस्व प्रशासन को फील्ड स्तर पर चुस्त–दुरुस्त किए जाने एवं कार्यों के नियमित अनुश्रवण किए जाने की दृष्टि से मुख्य राजस्व आयुक्त संगठन को और अधिक सुदृढ़ एवं समर्थ बनाए जाने की कार्यवाही की जा रही है।

आपदा प्रबन्धन :

उत्तराखण्ड राज्य का अधिकांश भू–भाग दैवीय

आपदाओं की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील है। पूर्व में दैवीय आपदाओं की घटना के उपरान्त प्रातिक्रियात्मक कार्यवाही के रुप में प्रभावितों को राहत वितरण तथा क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों को कम से कम समय में उपयोग लायक बनाने की व्यवस्था तक ही मुख्यतः कार्यवाही सीमित थी। अब इसके साथ–साथ आपदा प्रबन्धन एवं न्यूनीकरण कार्यों पर भी पूर्ण रुपेण ध्यान केन्द्रित करने की व्यवस्था हो चुकी है। आपदा प्रबन्धन अधिनियमों के प्राविधानों के अनुरुप राज्य व प्रत्येक जनपद स्तर पर आपदा प्राधिकरण और आपदा न्यूनीकरण नाम से दो–दो निधियां बनाने की व्यवस्था की जा रही है। उक्त निधियों हेतु वर्ष 2008–09 में रु0 8.75 करोड़ का प्राविधान है। साथ ही आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के लिए रु0 2 करोड़, आपदा राहत निधि हेतु रु0 100.67 करोड़ सहित आपदा प्रबन्धन के अन्तर्गत कुल रु0 117.52 करोड़ का बजट प्राविधान है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति :

राज्य में लक्षित सार्वजनिक वितरण

प्रणाली के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बी0पी0एल0 योजनान्तर्गत तथा गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए ए0पी0एल0 योजनान्तर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभान्वित हो रहे हैं। महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए रु0 4 करोड़ का प्राविधान है।

सूचना एवं लोक सम्पर्क :

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग प्रदेश सरकार एवं जनता के मध्य समन्वय स्थापित कराता है तथा सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों एवं योजनाओं की जानकारी विभिन्न संचार माध्यमों से जन–जन तक पहुंचाने में भी समन्वय करता है। मीडिया सरकार की नीतियों व योजनाओं की विवेचना करते हुए सरकार को अपनी नीतियों व योजनाओं को और परिष्कृत करने में सहायता करता है। प्रदेश सरकार मीडिया के हितों को संरक्षण प्रदान करने हेतु प्रयासरत है। जिलास्तर पर प्रेस क्लबों की स्थापना पर भी सरकार ने प्राथमिकता से ध्यान देकर इस निमित्त प्राविधान किया

है। श्रमजीवी पत्रकारों को अनुंमन्य चिकित्सा सुविधा सम्बन्धी व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए भी प्राविधान किया गया है। सूचना नीति के निर्धारण के लिए कार्य किया जा रहा है। सूचना विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए आयोजनागत पक्ष में रु0 2.15 करोड़ का प्राविधान है।

नियोजन :

प्रदेश के विभिन्न विकास कार्यक्रमों/ योजनाओं की परिकल्पना, मूल्यांकन, प्राथमिकीकरण, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए यथोचित नियोजन व्यवस्था अनिवार्य है। प्रदेश के समन्वित एवं समुचित विकास सम्बन्धी योजनाओं के निर्माण के लिए आधार भूत आंकड़ों का एकत्रीकरण, तत्सम्बन्धी विश्लेषण, सत्यापन तथा मूल्यांकन का महत्वपूर्ण स्थान है। इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है । नियोजन विभाग में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर अधिक से अधिक योजनाओं के निर्माण व क्रियान्वयन हेतु एक पी0पी0पी0 प्रकोष्ठ की स्थापना के

लिए रु0 20 लाख का प्राविधान है।

मान्यवर,

अब मैं, वित्तीय वर्ष 2008–09 के बजट अनुमानों के बारे में प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूंगा।

वर्ष 2008–2009 के बजट का वित्तीय विवरण :

प्राप्तियाँ :

वर्ष 2008–2009 में रु0 12112.38 करोड़ की कुल प्राप्तियॉ अनुमानित हैं।

कुल प्राप्तियों में रु0 10456.56 करोड़ की राजस्व प्राप्तियॉ तथा रु0 1655.82 करोड़ की पूंजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।

वर्ष 2008–2009 में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश रु0 4799.66 करोड़ है। इसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश रु0 1679.90 करोड़ सम्मिलित है।

व्यय :

वर्ष 2008–2009 में राज्य को ऋणों के प्रतिदान पर लगभग रु0 569.22 करोड़, ब्याज की अदायगी के

रूप में लगभग रु0 1249.03 करोड़, राज्य कर्मचारियों के वेतन–भत्तों आदि पर लगभग रु0 2877.61 करोड़, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों / कर्मचारियों के वेतन भत्तों के रूप में लगभग रु0 217.43 करोड़, पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों के रूप में लगभग रु0 727.36 करोड़ व्यय अनुमानित है।

वर्ष 2008–2009 में कुल व्यय रु0 12441.32 करोड़ अनुमानित है।

कुल व्यय में रु0 8662.53 करोड़ राजस्व लेखे का व्यय है तथा रु0 3778.79 करोड़ पूंजी लेखे का व्यय है।

समेकित निधि का घाटा :

समेकित निधि में रु0 5672.72 करोड़ आयोजनागत पक्ष में तथा रु0 6768.60 करोड़ आयोजनेत्तर पक्ष में व्यय प्रस्तावित है। राजस्व व्यय में रु0 2515.69 करोड़ आयोजनागत तथा रु0 6146.84 करोड़ आयोजनेत्तर पक्ष में अनुमानित है। इसी प्रकार

रु0 3157.03 करोड़ आयोजनागत पूंजी लेखा तथा रु0 621.76 करोड़ आयोजनेत्तर पूंजी लेखा हेतु प्रस्तावित है।

समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात वर्ष 2008–2009 में अनुमानित घाटा रु0 328.94 करोड़ है।

लोक–लेखा से समायोजन :

वर्ष 2008–2009 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिए रु0 250 करोड़ लोक–लेखा से समायोजित किये जायेंगे।

अंतिम शेष :

वर्ष 2008–2009 में आरम्भिक शेष को लेते हुए शुद्ध अधिशेष रु0 62.25 करोड़ होना अनुमानित है।

मेरा यह मानना है कि राज्य सरकार को एक लोक हितैषी संस्था के रुप में चलाए लाने की आवश्यकता है जिसके लिए मूल सिद्धान्त तथा लक्ष्य हमारे महान संविधान में निर्धारित हैं। एक ओर जनता की चुनी हुई सरकार होने के नाते हमारा लोक

धन की सुरक्षा व संरक्षण करने का दायित्व है वहीं दूसरी ओर उस धन का सदुपयोग जनहित व लोक कल्याण के लिए करने का भी दायित्व है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके सबके सहयोग से हम इस गुरुत्तर दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन करने में सफल रहेंगे।

मुझे उत्तराखण्ड के निवासियों व कर्मचारियों पर गर्व है कि राज्य निर्माण के बाद उन्होंने राज्य के तीव्र विकास के लिए मनोयोग से सहयोग दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है उनका योगदान हमें आगे भी मिलता रहेगा।

मान्यवर,

अन्त में, मैं, मंत्रिपरिषद् के अपने समस्त सहयोगियों के प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा जिनके सहयोग एवं परामर्श से बजट प्रस्तुत करना सम्भव हो सका। वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जो सहायता मुझे बजट बनाने और उसको समय से प्रस्तुत करने में दी है, उसके लिए मैं, हार्दिक आभार

प्रकट करता हूँ। महालेखाकार, उत्तरांचल एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति उनके द्वारा इस कार्य में दी गई सहायता के लिये भी कृतज्ञ हूँ। राजकीय मुद्रणालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनके अथक परिश्रम एवं सहयोग से बजट साहित्य का मुद्रण समय से किया जा सका।

इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं वर्ष 2008–2009 का बजट प्रस्तुत करता हूँ।

..... शक संवत् .....
तद्नुसार
10 मार्च, 2008